

## **प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़, दिनांक 19.03.2025**

### **थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़**

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त को थानाक्षेत्र फतनपुर के जगतपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।

वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर में दिनांक-17/03/2025 को अन्तर्गत धारा 64/352/351(2) B.N.S. व 3/4 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना फतनपुर प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार राय के नेतृत्व में उ०नि० दिलीप कुमार वर्मा मय हमराह कां० आशुतोष तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना फतनपुर के अन्तर्गत धारा 64/352/351(2) B.N.S. व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त अरविन्द कुमार पटेल पुत्र प्यारेलाल पटेल निवासी ग्राम जगतपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र फतनपुर के जगतपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अरविन्द कुमार पटेल पुत्र प्यारेलाल पटेल निवासी ग्राम जगतपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० दिलीप कुमार वर्मा मय हमराह कां० आशुतोष तिवारी थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

### **थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़**

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कोहंडौर पुलिस तथा महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त को थानाक्षेत्र कोहंडौर के गाव धरौली मधपुर से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निर्मल नगर जनपद बृहन मुम्बई शहर (महाराष्ट्र) में अन्तर्गत धारा 65 (2) बीएनएस व 4/8/12 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री राधेश्याम थाना कोहंडौर के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम पर अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 19.03.2025 को थाना कोहंडौर पुलिस तथा महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दबिश के दौरान थाना कोहंडौर के अन्तर्गत धारा 65 (2) बीएनएस व 4/8/12 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त मो. इमरान उर्फ इमान पुत्र गुलफाम अली खान उम्र 25 वर्ष नि.ग्रा. धरौली मधपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कोहंडौर के गाव धरौली मधपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मो. इमरान उर्फ इमान पुत्र गुलफाम अली खान उम्र 25 वर्ष नि.ग्रा. धरौली मधपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० विजय धस मय हमराह का० प्रणव तायडे, का० प्रताप पाटील थाना निर्मल नगर जनपद बृहन मुम्बई शहर महाराष्ट्र व हे० का० लालबाबू शुक्ला, का. प्रवीण कुमार थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

### **थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा जारी

हत्या के अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र रानीगंज के भागीपुर देवासा मोड़ के पास से 02 अभियुक्त/अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17-03-2025 को थाना रानीगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम रामगढ़ बभनमई में तीन शेड/रास्ते के विवाद को लेकर आरोपियों द्वारा वादी के पिता को मारपीट कर घायल कर देना व जिससे घायल की मृत्यु हो गई। जिसके सम्बन्ध में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज पर मु०अ०सं० 68/2025 धारा 3(5)/352/109(1)103(1) भा०न्या०सं० बनाम नामजद 03 अभियुक्त/अभियुक्ता के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित/ वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री आदित्य कुमार सिंह मय हमराह उ०नि० श्री अमित कुमार सिंह, का० प्रदीप कुमार, म०का० प्रियंका कुशवाहा, का० देवेन्द्र सिंह, का० नारायण निषाद द्वारा

देखभाल क्षेत्र, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान थाना रानीगंज के मु0अ0सं0 68 / 2025 धारा 3(5)/352/109(1)103 (1) भा0न्या0सं0 से संबंधित वाँछित 02 अभियुक्त/अभियुक्ता 01. विनीत कुमार ओझा उर्फ राजकुमार पुत्र स्व0 रवीन्द्र नाथ ओझा निवासी ग्राम रामगढ़ बभनमई थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, 2. रिचा ओझा उर्फ ऋचा पत्नी बृजेश ओझा निवासी ग्राम बभनमई रामगढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को मूखबिर की सूचना पर थानाक्षेत्र रानीगंज के भागीपुर देवासा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

01. विनीत कुमार ओझा उर्फ राजकुमार पुत्र स्व0 रवीन्द्र नाथ ओझा निवासी ग्राम रामगढ़ बभनमई थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

02. रिचा ओझा उर्फ ऋचा पत्नी बृजेश ओझा निवासी ग्राम बभनमई रामगढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

प्रभारी निरीक्षक श्री आदित्य कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री अमित कुमार सिंह, का0 प्रदीप कुमार, म0का0 प्रियंका कुशवाहा, का0 देवेन्द्र सिंह, का0 नारायण निषाद थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

### **थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़**

बीट आरक्षियों की सतर्कता से 03 गैंगस्टर गिरफ्तार

थाना मान्धाता के बीट आरक्षियों ने गैंगस्टर अभियुक्तों पर कसा शिकंजा

आरक्षी अंकित कुमार, आरक्षी सुनील यादव, आरक्षी विनोद कुमार ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना मान्धाता के आरक्षी अंकित कुमार, आरक्षी सुनील यादव, आरक्षी विनोद कुमार को दिया जाएगा प्रशस्ति-पत्र

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा जनपद क्षेत्रान्तर्गत भिन्न-भिन्न स्थानों से गैंगस्टर 1- अमित सिंह पुत्र उदय बहादुर सिंह, 2- राजकमल पटेल पुत्र रामपाल, 3- रजत मिश्रा पुत्र सुधीर मिश्रा गिरफ्तार

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्तों पर धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में आरक्षी अंकित कुमार, आरक्षी सुनील यादव, आरक्षी विनोद कुमार के सहयोग से आज दिनांक 19.03.2025 को थाना मान्धाता पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 40/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में 03 वाँछित अभियुक्तों, 1-अमित सिंह पुत्र उदय बहादुर सिंह निवासी ग्राम हिन्दूपुर हैसी परजी थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़, 2-राजकमल पटेल पुत्र रामपाल निवासी ग्राम बुआपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़, 3- रजत मिश्रा पुत्र सुधीर मिश्रा निवासी ग्राम रामपुर मुस्तर्का रोड रामपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को जनपद प्रतापगढ़ के भिन्न भिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया ।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- अमित सिंह पुत्र उदय बहादुर सिंह निवासी ग्राम हिन्दूपुर हैसी परजी थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

2- राजकमल पटेल पुत्र रामपाल निवासी ग्राम बुआपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।

3- रजत मिश्रा पुत्र सुधीर मिश्रा निवासी ग्राम रामपुर मुस्तर्का रोड रामपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

### **थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी,

हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी बरामद ।

थाना जेठवारा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को समशेरगंज से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुटिलिया साड़देई में आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर वादिनी के साथ गाली-गलौज, धमकी व लाठी-डण्डे से जानलेवा हमला करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 15.03.2025 को थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 40/ 25 धारा 115(2), 352, 351(3), 109, 333, 110 बीएनएस बनाम 03 नामजद व 03 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी जेठवारा श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 बंशीधर राय मय हमराह का0 मनोज यादव, का0 आशुतोष चौबे द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना जेठवारा में पंजीकृत मु0अ0सं0 40/ 25 धारा 115(2), 352, 351(3), 109, 333 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त, साबिर अली उर्फ रजाई पुत्र आशिक अली निवासी ग्राम कुटिलिया साड़देई थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र अन्तर्गत समशेरगंज से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी बरामद किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- साबिर अली उर्फ रजाई पुत्र आशिक अली निवासी ग्राम कुटिलिया साड़देई थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 बंशीधर राय मय हमराह का0 मनोज यादव, का0 आशुतोष चौबे थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।